



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. एन-15/13/14/4/2015- योववि

दिनांक : 31.05.2021

परिपत्र
Circular

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of Erode district in the State of Tamilnadu- reg.


उपरोक्त विषय पर मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना सं. अधिसूचना सं. का.आ. 2068(अ) दिनांक 28.05.2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन जो दिनांक 01.06.2021 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no.S.O. 2068 (E) dated 28.05.2021 received from Ministry of Labour & Employment for information.

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of Erode district in the State of Tamilnadu shall be effective from 01.06.2021.

संलग्न - यथोपरि


31/5/21
(पी आर सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडु सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।